डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 550/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट
मदनलाल पुत्र तारुराम जाति राईका निवासी 29 डी.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1. तारुराम पुत्र गाडजी जाति राईका निवासी 29 डी.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. करणी पुत्र तारुराम जाति राईका निवासी 29 डी.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. विमला पुत्री तारुराम पत्नी पुर्णराम जाति राईका निवासी धीरदेशर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री मनसाराम झोरड़ वकील–वादी
श्री राकेश कुमार प्रतिवादी सं. 1 ता 3
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक– 31.12.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 30 डी. डब्लु.डी. के प0 न0 112/8 (25) के किला न0 16/1 , 16/2, 17 , 18, 23, 24, 25/1, 25/2 की 1.518 है0 प0 न0 112/15 (18) के किला न0 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 10/2, 11/1 की 1.696 है0 प0 न0 113/9(27) के किला न0 1/3, 1/4, 10/1 की 0.5060 है0 कुल तादादी 3.720 है. भूमि से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.12.2024 .को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.02 19:02:02 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर